न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 केम्प कोर्ट स्थल राजीव गांधी सेवा केन्द्र दौनारी

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–41/2020

1–रामभरोसी पुत्र छोटे जाति लोधी(लोधा) निवासी पोथी का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
..........................वादी

बनाम

1–रामनारायन 2–हीरासिंह पुत्रगण छोटे जातिगण लोधी(लोधा) निवासी पोथी का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
....................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.
वास्ते बटवारा काश्त व स्थायी निशेधाज्ञा

उपस्थिति – 1–रामभरोसी ....(वादी)
2–रामनारायन, हीरासिंह.....(प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 08.11.2021

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1732, 1734, 1740, 1787, 1789, 1793/2289, 1799, 1962, 1963, 2395/1788, 2397/1790 कुल किता 11 कुल रकवा 2.4276 हैक्टेयर वाकेग्राम दौनारी पटवार हल्का दौनारी तहसील सैंपऊ में वादी विवादित आराजी में 1/3 भाग का अभिलिखित खातेदार का तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी में 1/3 भाग का तथा प्रतिवादी संख्या–2 1/3 भाग का खातेदार का तकार है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की उपरोक्त हिस्सानुसार अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर अब तक वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त हिस्सानुसार सामूहिक रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त करते रहे है लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मन में बदनीयती आ चुकी है वे विभाजन कराये बिना अवैध रूप से विवादित आराजी के सड़क एवं आबादी ने लगे कीमती सम्पूर्ण भू–भाग पर अपना अवैध पुख्ता निर्माण करना चाहते हैं तथा रोके जाने पर विवादित आराजी को किसी लट्ठ एवं चलाव वाले व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित करने पर उतारू हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व वादी से ऐलानिया इजहार किया है कि वे विवादित आराजी के सड़क एवं आबादी से लगे हुये सम्पूर्ण कीमती भू–भाग पर अपना पुख्ता निर्माण करेंगे, वादी को विवादित आराजी से बेदखल करेंगे, वादी को आयन्दा काश्त नहीं करने देंगे तथा वादी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो वे विवादित आराजी को किसी लट्ठ एवं चलाव वाले व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित कर देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 यदि अपनी उपरोक्त धमकी को साकार करने में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। उपरोक्त परिस्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा प्रतिबन्धित करवाये कि वे विवादित आराजी पर अपना पुख्ता निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

वादी को विवादित आराजी से बेदखल न करें, काश्त करने से न रोके, विवादित आराजी किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित न करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न करें जिसका की वादी अधिकारी एवं दावेदार है। उपरोक्त परिस्थिति में वादी के लिये यह भी आवश्यक हो गया कि वह विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से 1/3 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स पृथक करावें तथा खाता एवं लगान भी पृथक से कायम करावे जिसका की वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वाद कारण अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व अन्दर हदूद अदालत हाजा के पैदा हुआ है जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित आराजी में से वादी के हिस्से 1/3 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स पृथक किया जावे तथा खाता एवं लगान भी पृथक से कायम किये जावे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल न करें, विवादित आराजी पर अपना पुख्ता निर्माण न करें, वादी को काश्त करने से न रोके, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न करें तथा विवादित आराजी को किसी लट्ठ एवं चलाव वाले व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 उपस्थित हुये एवं उभयपक्ष द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 केम्प कोर्ट स्थल दौनारी में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से बटवारा कराये जाने हेतु सहमति प्रार्थना–पत्र पेश किया एवं उपयपक्षकारान् द्वारा बटवारा कराये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

हमने उभयपक्षकारान् को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी विवादित आराजी के सहखातेदार है। अतः हम दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री कर विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटंवारा किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1732, 1734, 1740, 1787, 1789, 1793/2289, 1799, 1962, 1963, 2395/1788, 2397/1790 कुल किता 11 कुल रकवा 2.4276 हैक्टेयर वाकेग्राम दौनारी पटवार हल्का दौनारी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर पर रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों की उपस्थिति में तथा रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। पर्चा प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प स्थल राजीव गांधी सेवा केन्द्र दौनारी

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

व इजलास –ललित मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–41 / 2020

1–रामभरोसी पुत्र छोटे जाति लोधी(लोधा) निवासी पोथी का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..........................वादी

बनाम

1–रामनारायन 2–हीरासिंह पुत्रगण छोटे जातिगण लोधी(लोधा) निवासी पोथी का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.
वास्ते बटवारा काश्त व स्थायी निशेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड सैंपऊ

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री रामभरोसी एंव मिनजानिव मुद्दायलह रामनारायन, हीरासिंह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1732, 1734, 1740, 1787, 1789, 1793 / 2289, 1799, 1962, 1963, 2395 / 1788, 2397 / 1790 कुल किता 11 कुल रकवा 2.4276 हैक्टेयर वाकेग्राम दौनारी पटवार हल्का दौनारी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर पर रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारौं की उपस्थिति में तथा रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 08.11.2021 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)